न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 27/2016 (225 आरटीए) मोहनकंवर वगै. बनाम अमानसिंह वगै.

1 मोहनकंवर पत्नी श्री आईदानसिंह जाति राजपूत,
2 जसवंतसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह जाति राजपूत,
दोनों निवासीगण हिम्मतनगर (बालेसर) तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल निवास बिड़ला सीमेंट प्लांट खारिया खंगार तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3 सुमेरसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी हिम्मतनगर (बालेसर) तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 अमानसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी हिम्मतनगर (बालेसर) जिला जोधपुर।
2 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।
3 रूपसिंह पुत्र श्री अचलसिंह जाति राजपूत निवासी –हिम्मतनगर (बालेसर) जिला जोधपुर हाल निवास अयोध्या कालोनी बर जिला अजमेर।

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर
दिनांक 18.02.2015 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
3 रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13/2014 पेश किया गया। जिसमें राजस्व ग्राम हिम्मतनगर तहसील बालेसर के खसरा नं. 1897 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के सह खातेदार अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 3 रूपसिंह की भूमि में से 60 फीट लंबा व 15 फीट चौड़ा रास्ते के लिए मांग की गई। उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर अपीलांट एवं रेस्पों. संख्याा 2 व 3 की विधिवत तामील हुए बिना ही रेस्पों. सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किए जाने एवं अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किए जाने के तथ्य आदेशिका में अंकित हैं परंतु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 व 3 की तामील नहीं हुई थी तथा ना ही तामील कराने हेतु रेस्पो. सं. 1 ने पुनः कोई नोटिस प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 17.10.2014 की आदेशिका में लिखा है कि पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीदें पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया जबकि रजि. ए.डी. से अधीनस्थ न्यायालय का तामील कराने का कोई आदेश नहीं हैं। पक्षकारों की तामील मानी जाए या नहीं मानी जाए यह भी आदेशिका में अंकित नहीं हैं इससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारों की तामील विधिवत नहीं हुई है तथा बिना तामील ही विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था जो आदेशिका दिनांक 12.11.2014 से दिनांक 30.01.2015 से स्पष्ट है। आदेशिकाओं में इंतजार रिपोर्ट बावत लिखा है जबकि मोका रिपोर्ट मंगवाने बावत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है तथा दिनांक 13.08.2014, 17.09.2014, 17.10.2014, 12.11.2014, 26.11.2014, 10.11.2014 व 31.12.2014 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी एवं किसी भी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही विधि विरुद्ध व त्रुटिपूर्ण है। रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट को तंग व परेशान कर अवैध एवं फर्जी तरीके से अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि को बरबाद एवं कम करने की नियत से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जबकि रेस्पो. सं. 1 को अपने सह खातेदारों की कृषि भूमि में आने जाने के लिए किसी प्रकार की रास्ते की

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवश्यकता नहीं थी। रेस्पों. सं. 1 को अपने सह खातेदारी के खसरा नं. 1896 में आने जाने के लिए ग्रेवल सड़क के पास में ही रेस्पो. सं. 1 स्वयं के सहखातेदारी के खसरा नं. 1892, 1893, 1894 व 1895 की भूमि आई हुई है जिसमें रास्ता कायम है। जिसका रेस्पो. सं. 1 व अन्य सहखातेदार पीढ़ियों से उपयोग करते आ रहे हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक ने मोका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस एवं सूचना नहीं दी जबकि विधि व नियमानुसार घटना स्थल का निरीक्षण करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सूचित करना कानूनन आवश्यक व अनिवार्य होता है। मौका रिपोर्ट एवं मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. सं. 1 के कहे अनुसार एक तरफा एवं अवैध तरीके से तैयार की गई है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए भी अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी , हाल ही में दिनांक 15.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई उसके बाद अपीलांट की ओर से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए धारा–5 का प्रार्थना स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। रेस्पो. सं. 1 के खसरा नं. 1896 के लिए रास्ते के लिए आवश्यकता होने से आवेदन किया। रास्ते के आत्यांतिक आवश्यकता होने व वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से धारा 251–क के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता की बहस का ही समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को देखते हुए काउंटर शपथ पत्र द्वारा खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र स्वीकार कर अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुए अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किए गए अधिकांश तथ्यों की पुष्ठि होती है। आवेदन में रास्ता 15 फीट चौड़ा चाहा गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 20 फुट चौड़ा रास्ता मंजूर किया है। मोका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। मुआवजे की राशि डीएलसी दर से निर्धारित की है जबकि नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं हैं। मुआवजे की राशि भी राजकोष में जमा करवाने के आदेश पारित किए गए हैं।

9 अपीलाधीन आदेश में 15 फुट चौड़े रास्ते के बजाय 20 फुट चौड़ा रास्ता क्यो दिया गया है इसका कारण अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार नियमों में मुआवजा या तो पक्षकारों की सहमति से निर्धारित किया जाएगा यदि पक्षकार सहमत नहीं हैं तो नए रास्ते के मामले में डीएलसी दर से दो गुनी दर पर मुआवजा राशि निर्धारित की जावेगी तथा इस मुआवजा राशि को राजकोष में जमा कराने का भी कोई प्रावधान नहीं हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजकोष में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने एवं प्रकरण रिमाण्ड करने के योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण का धारा 251-क एवं उससे संबंधित बनाए गए नियम 68 से 70 की पालना करते हुए पुनः निस्तारण करें।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर